

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 लगायत 31 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक 18/5/26

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के वैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की निम्न आराजियात स्थित है :-

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है० में
1	94	206	0.35
2	94	208	0.23
3	94	209	0.19
4	94	210	0.22
5	94	211	0.33
6	94	212	0.13
7	94	213	0.32
8	94	214	0.42
9	94	215	0.30
10	94	221	0.13
11	94	222	0.13
12	94	223	0.13
13	94	224	0.15
	कुल किता कुल रकबा	13	3.03

प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस संवत् 2075 से 2078 की पेश की है।

2. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, उक्त आराजियात बाबत सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें सीमा सम्बन्धी विवाद है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान कराया जावे।
3. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 व 5 लगायत 31 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 11.05.2026 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 4, 32 के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
4. प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के वैरून हल्का आवादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की राजस्व खाता संख्या 94 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।



अध्यक्ष
रायपुर

5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त राजस्व खाता संख्या 120 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमिगण की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

::- आदेश -::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :-

क्र.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है० में
1	94	206	0.35
2	94	208	0.23
3	94	209	0.19
4	94	210	0.22
5	94	211	0.33
6	94	212	0.13
7	94	213	0.32
8	94	214	0.42
9	94	215	0.30
10	94	221	0.13
11	94	222	0.13
12	94	223	0.13
13	94	224	0.15
	कुल किता कुल रकबा	13	3.03

उक्त भूमि पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 2500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 5000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



आदेश आज दिनांक 18/5/26 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला मीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला मीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 39/2025

ऑनलाईन नम्बर :- 2025/214

उनवान

1. कालीबाई पत्नी रतनलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गिरधारी पुत्र खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गीता पुत्री बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. चान्दी पुत्री मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जगदीश पुत्र बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्यारचन्द्र पुत्र भैरूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पारसलाल पुत्र बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. पारसीदेवी पुत्री भैरूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लक्ष्मीलाल पुत्र रामलाल कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. शोभालाल पुत्र खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. सुखालाल पुत्र मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सायरी देवी पत्नि बालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. सायरीदेवी पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. अमरु पुत्र गिरधारी गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. प्रताप पुत्र गिरधारी गाडरी निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गिरधारी पुत्र खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्यारचन्द्र पुत्र भैरूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामचन्द्र पुत्र भैरूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शोभालाल पुत्र खेमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. केरिंग पुत्र प्रताप कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्यारचन्द्र पुत्र भैरूलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. गोवर्धनलाल पुत्र नन्दा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. लादुलाल पुत्र नन्दा बलाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. अम्बालाल पुत्र दौला कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. मथरा पुत्र दौला कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. श्यामलाल पुत्र हरलाल कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. शंकर पुत्र कालु कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. सुवालाल पुत्र हरलाल कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. हजारी पुत्र मोहन कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. ईश्वर पुत्र गिरधारी कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. नन्दराम पुत्र एकलिंग कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. नारायणलाल पुत्र हरलाल कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. अम्बालाल पुत्र घीसु कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. नन्दा पुत्र भैरु कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. नारायणलाल पुत्र प्यारा कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. मथरालाल पुत्र नेना कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
24. रामा पुत्र सुरजमल कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
25. आसु पुत्र सुरजमल कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
26. शंकर पुत्र चूना कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
27. सुखा पुत्र रेवत कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
28. सुवालाल पुत्र भैरु कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
29. हीरालाल पुत्र घीसु कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
30. कजोड़ पुत्र रेवत कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
31. जगदीश पुत्र छोगालाल कुमावत निवासी पाटियोकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
32. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा



राज्यक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढी कराने बाबत

दिनांक:- 18/5/26

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 18/5/26 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम अर्जुनगढ पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की निम्न आराजियात स्थित है :-

क.स.	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	94	206	0.35
2	94	208	0.23
3	94	209	0.19
4	94	210	0.22
5	94	211	0.33
6	94	212	0.13
7	94	213	0.32
8	94	214	0.42
9	94	215	0.30
10	94	221	0.13
11	94	222	0.13
12	94	223	0.13
13	94	224	0.15
	कुल किता कुल रकबा	13	3.03

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 2500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 5000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुकमनामा आज दिनांक 18/5/26 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(रा.जी.ओ. रायपुर)